राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ.2(घ)(निल.)/आर.एम.एस./जांच/डीएलबी/2020/640 दिनांक : 18/2/2020

आदेश

विभाग के ध्यान में आया है कि श्री राकेश अरोडा, लेखाधिकारी हाल आदेशों की प्रतीक्षा में, के विरूद्ध पुलिस थाना सिन्धी कैम्प जयपुर में मुकदमा नं. 114/15 अन्तर्गत धारा 376 एवं 377 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज है, जिसमें पुलिस के द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क.सं. 15 जयपुर महानगर द्वारा दिनांक 13.08.19 को इनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। दिनांक 29.01.2020 को श्री राकेश अरोडा द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.सं. 15 जयपुर महानगर के न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा इसी दिन इन्हें केन्द्रीय कारागार जयपुर में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय एवं आर्डरशीट के अनुसार श्री राकेश अरोडा को दिनांक 11.02.2020 तक न्यायिक हिरासत (JC) में भेजा गया है।

चूंकि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार श्री राकेश अरोडा, लेखाधिकारी दिनांक 29.01.20 से दिनांक 11.02.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के उपनियम (ख) एवं 13(2) के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों के अनुसरण एवं इन प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राकेश अरोडा, लेखाधिकारी हाल आदेशों की प्रतीक्षा में, को इनके न्यायालय में आत्मसमर्पण की दिनांक 29.01.2020 से ही निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग में रहेगा और इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका, राजगढ(चूरू) से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

17/2/20
(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.2(घ)(निल.)/आर.एम.एस./जांच/डीएलबी/2020/641-648 दिनांक : 18/2/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
4. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ(चूरू)
5. श्री राकेश अरोडा, लेखाधिकारी, हाल आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय।
6. आरएमएस (संस्थापन) अनुभाग, निदेशालय को इनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किये जाने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डा. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner